न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अंराई (अजमेर)

राजस्व प्रा0पत्र संख्या 1/2023 तेजू बनाम समोत्रा

<u>निर्णय प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि.1956</u>

— वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी दौरान बहस

निर्णय दिनांक 20.10.2023

संक्षिप्त मे प्रा0 पत्र का सार इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने एक प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 **R.T.A** के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 की संयुक्त खातेदारी की भुमि ग्राम भोगादीत पटवार हल्का भोगादीत मे स्थित भूमि खसरा संख्या 110 रकबा 2.6131 हैक्टेयर मे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी 01 व 02 का 1/8– 1/8 हि0 अप्रार्थी 03, 04, 05 का 1/12, 1/12 हिस्सा एवं हरचन्द पुत्र हीरा का 1/4 हिस्सा उक्त कृषि भूमि मे राजस्व रिकार्ड के अनुसार निहित है। हरचन्द पुत्र हीरा अविवाहित नाऔलाद फौत हो चुका है एंव प्रार्थी व अप्रार्थी 01 व 02 उसके विधिक वारिसान के रूप मे उसकी हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहें है। इसी प्रकार खसरा संख्या 105 रकबा 5.4203 हैक्टेयर मे प्रार्थी व अप्रार्थीगणों का राजस्व रिकार्डनुसार हिस्सा है तथा हरचन्द पुत्र हीरा (ना.फौत) के हिस्से पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 2 उसके विधिक वारिसान होकर काबिज काश्त है तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 393 व 394 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0971 हैक्टेयर मे प्रार्थी व अप्राथीगणों का राजस्व रिकार्डनुसार हिस्सा है तथा हरचन्द पुत्र हीरा के हिस्से पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण 01, 02 काबिज है, खसरा संख्या 109 व 395 कुल कितर 02 कुल रकबा 3.9560 हैक्टेयर मे प्रार्थी व अप्रार्थीगणों का राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा है तथा हरचन्द पुत्र हीरा के नाऔलाद फौत होने से प्रार्थी एंव अप्राथीगण 01 व 02 उसके हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 अपने हिस्से तथा हरचन्द पुत्र हीरा के नाऔलाद फौत होने से कानूनी रूप से उसके विधिक वारिसान होने से हरचन्द पुत्र हीरा के हिस्से पर भी काबिज काश्त है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्डनुसार हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी अपने हिस्सों पर मौके पर काबिज काश्त है तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस मे हिस्सा दर्ज करवाकर प्रा0पत्र मे वर्णित भूमि को **By Metes And Bounds** के अनुसार बंटवारा करवाने का अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बंटवारा किये बिना ही बेचान करने पर उतारू है साथ ही अप्रार्थीगण प्रार्थी के काबिज काश्त मे भी बाधा उत्पन्न करते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि फैसला मूल वा[illegible]ण व उनके नौकर चाकर एजेन्ट ,कर्मचारी को इस आशय की अस्थायी [illegible] कि वे उपरोक्त भूमि का बंटवारा नही होने तक प्रार्थी के हिस्से [illegible] काश्त मे बाधा उत्पन्न नही [illegible] तथा बिना बंटवारे के उक्त भूमि मे किसी भी प्रकार के बेचान, सम[illegible]तन नही करावें। प्रकरण[illegible]नांक 16.12.2023 को 01/2023 पर दर्ज किया गया। दिनांक 05.10.2023 को वकील अप्रार्थी श्री विजय पोषक द्वारा जवाब प्रा0पत्र पेश किया। जवाब प्रा.पत्र मे वकील श्री विजय पोषक ने निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

...होकर काबिज काश्त है ...

...ना पत्र के पेरा संख्या 2 , 3, 4 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि ...क्त कब्जे काश्त में अंकित है परन्तु प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 ,3 ,4 में वर्णित भूमि का विगत 50 ... से मौके पर भाई बंटवारा होकर काबिज काश्त करते चले आ रहें है। शेष कथन गलत होने से ...मान्य एंव अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 के कथन गलत, झूठे होने से अमान्य एंव ...स्वीकार है। अप्रार्थीया/जवाबकर्ती ने कभी भी बैचान आदि की कोई धमकी नहीं दी है प्रार्थना पत्र के ...पेरा संख्या 6 के कथन गलत होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। वाद अधीन भूमि का मौके पर भाई बंटवारा हो रखा है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 7 के कथन गलत होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। उक्त भूमि का मौके पर भाई बंटवारा हो रखा है। अप्रार्थीयगण/जवाबकर्तीगण ने कभी भी कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, तंग परेशान ,हैरान नहीं किया, बलात बेदखल करने पर भी उद्यत नहीं है न ही बैचान करने पर आमादा है। प्रार्थी ने अन्यथा उद्देश्य की पूर्ति में तमाम कथन झूठे वर्णित करने से प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी ना होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 9 के कथन गलत ,झूठे होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। जबावकर्तीगण ने कभी भी स्वर्गीय हरचन्द जी के हिस्से की भूमि अकेले अपने नाम करवाने अथवा प्रार्थी को बेदखल करने की कभी कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों का अंकन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 10 के कथन गलत होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 वाद अधीन भूमि के अपने हक हिस्से में काबिज काश्त करते चले आने से प्रथम दृष्टया वाद जवाबकर्तीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 11 के कथन गलत होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। प्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा होने तथा असीम क्षति होने का प्रश्न ही पैदा न होने से सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है बल्कि जवाबकर्तीगण को ही असुविधा होगी , असीम क्षति होगी इस कारण सुविधा का सन्तुलन भी जवाबकर्तीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 12 के कथन कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः श्रीमान् की सेवा में मय प्रारम्भिक आपत्तियों के जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाने की कृपा करावें।

जवाब प्रार्थना पत्र पत्रावली पर रिकार्ड पर आने के पश्चात दिनांक 13.10.2023 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया किप्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 की संयुक्त खातेदारी की भुमि ग्राम ... हल्का भोगादीत मे स्थित भूमि खसरा संख्या 110 रकबा 2.6131 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/4 ... अप्रार्थी 01 व 02 का 1/8– 1/8 हि0 अप्रार्थी 03, 04, 05 का 1/12 1/12 हिस्सा ... पुत्र हीरा का 1/4 हिस्सा उक्त कृषि भूमि मे राजस्व रिकार्ड के अनुसार निहित है। हरचन्द ... हीरा अविवाहित नाऔलाद फौत हो चुका है एंव प्रार्थी व अप्रार्थी 01 व 02 उसके विधिक वारिसान के रूप मे उसकी हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहें है। इसी प्रकार खसरा संख्या 105 रकबा 5.4203 हेक्टेयर मे प्रार्थी व अप्रार्थीगणों का राजस्व रिकार्डनुसार हिस्सा है तथा हरचन्द पुत्र हीरा (ना.फौत) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 2 उसके विधिक वारिसान होकर काबिज काश्त है तथा इसी खसरा संख्या 393 व 394 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0971 हैक्टेयर मे प्रार्थी व अप्राथीगणों का स्व रिकार्डनुसार हिस्सा है तथा हरचन्द पुत्र हीरा के हिस्से पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण 01,02 काबिज खसरा संख्या 109 व 395 कुल कितर 02 कुल रकबा 3.9560 हैक्टेयर मे प्रार्थी व अप्रार्थीगणों का राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा है तथा हरचन्द पुत्र हीरा के नाऔलाद फौत होने से प्रार्थी एंव अप्राथीगण 01 व 02 उसके हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 अपने हिस्से तथा हरचन्द पुत्र हीरा के नाऔलाद फौत होने से कानूनी रूप से उसके विधिक वारिसान होने से हरचन्द पुत्र हीरा के हिस्से पर भी काबिज काश्त है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्डनुसार हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी अपने हिस्सों पर मौके पर काबिज काश्त है तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस मे हिस्सा दर्ज करवाकर प्रा0पत्र मे वर्णित भूमि को **By Metes And Bounds** के अनुसार बंटवारा करवाने का अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बंटवारा किये बिना ही बेचान करने पर उतारू है साथ ही अप्रार्थीगण प्रार्थी के काबिज काश्त मे भी बाधा उत्पन्न करते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि फैसला मूल वाद अप्रार्थीगण व उनके नौकर चाकर एजेन्ट ,कर्मचारी को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे उपरोक्त भूमि का बंटवारा नही होने तक प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि मे कब्जा काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करें तथा बिना बंटवारे के उक्त भूमि मे किसी भी प्रकार के बेचान, सम्परिर्वतन नही करावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 , 3, 4 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि संयुक्त कब्जे काश्त में अंकित है परन्तु प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 ,3 ,4 में वर्णित भूमि का विगत 50 वर्षो से मौके पर भाई बंटवारा होकर काबिज काश्त करते चले आ रहें है। शेष कथन गलत होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 के कथन गलत, झूठे होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। अप्रार्थीया/जवाबकर्ती ने कभी भी बैचान आदि की कोई धमकी नहीं दी है प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 6 के कथन गलत होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। वाद अधीन भूमि का मौके पर भाई बंटवारा हो रखा है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 7 के कथन गलत होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। उक्त भूमि का मौके पर भाई बंटवारा हो रखा है। अप्रार्थीयगण/जवाबकर्तीगण ने कभी भी कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, तंग परेशान ,हैरान नहीं किया, बलात बेदखल करने पर भी उद्यत नहीं है न ही बैचान करने पर आमादा है। प्रार्थी ने अन्यथा उद्देश्य की पूर्ति में तमाम कथन झूठे वर्णित करने से प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी ना होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। [illegible] के पेरा संख्या 9 के कथन गलत ,झूठे होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। [illegible] जी के हिस्से की भूमि अकेले अपने नाम करवाने अथवा प्रार्थी को [illegible] कभी कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों का अंकन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 10 के कथन गलत होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 वाद अधीन भूमि के अपने हक हिस्से में काबिज काश्त करते चले आने से प्रथम दृष्टया वाद जवाबकर्तीगण के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

र्थना पत्र प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 11 के कथन गलत होने से एवं अस्वीकार है। प्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा होने तथा असीम क्षति होने का प्रश्न ही त होने से सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है बल्कि बकर्तीगण को ही असुविधा होगी , असीम क्षति होगी इस कारण सुविधा का सन्तुलन भी बकर्तीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 12 के कथन कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः श्रीमान् की सेवा में मय प्रारम्भिक आपत्तियों के जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाने की कृपा करावें। वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें पेश की :–

1. टी. रामलिंगेश्वरा राव बनाम एन. माधवा राव व अन्य पृष्ठ संख्या 370, 2019डी.एन.जे.
2. करमजीत कौर बनाम गुरदीप सिंह व अन्य आर.आर.डी. 14.11.2008 762–765

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को दिनांक 20.03.2023 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया मानकर दी गई थी तथा केवल मूल वादअधीन भूमि के बंटवारे के तथ्य के आधार पर दी गई थी किन्तु वकील अप्रार्थी के जवाब पेश होने से प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 व 08 में नवीन तथ्य उभर कर आये हैं कि हरचन्द पुत्र हीरा का अविवाहित नाऔलाद फोत होने से उसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 2 उनके विधिक वारिसान के रूप में काबिज होकर कृषि भूमि का उपयोग करतें चले आ रहें हैं जो कि न्यायालय के समक्ष नवीन तथ्य है। राजस्थान काश्तकारी अधि. 212 के नियम 04 के अन्तर्गत "यदि किसी व्यादेश के लिये किसी आवेदन में या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी शपथपत्र में किसी पक्षकार ने किसी तात्विक विशिष्टि के सम्बन्ध में जानते हुये मिथ्या या भ्रामक कथन किया है और विरोधी पक्षकार को सूचना दिये बिना व्यादेश दिया गया था तो न्यायालय व्यादेश को उस दशा में रदद कर देगा जिसमें वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समझता है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं है" उक्त प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण को बिना विधिक विभाजन के बेचान करने के आशय से जारी की गई थी किन्तु वकील अप्रार्थी का जवाब व बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष नवीन तथ्य प्रकट हुयें है जो कि मूल वाद की रूपरेखा से भिन्न है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद गुणावगुण के आधार पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 16.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराईं